शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 15 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 7 – 14 अप्रैल 2025 मूल्य पांच रूपये

जल विद्युत परियोजनाओं पर राज्य और केन्द्र में टकराव से किसे लाभ होगा?

जो विद्युत उत्पादन दो दशकों से भी ज्यादा लटक जायेगा वह किसके लिये हितकर होगा?

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने जयराम सरकार के समय जिन-चार जल विद्युत परियोजनाओं को केंद्रीय उपक्रमों एनएचपीसी और एसजेवीएनएल को आबंटित कर दिया था उनको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह वापसी इस कारण से की जा रही है क्योंकि जयराम सरकार के समय इस आबंटन के लिये पूर्व की मुफ्त बिजली नीति में बदलाव कर दिया गया था। पहले यह नीति थी कि विद्युत उत्पादक से पहले 12 सालों तक 12% 13 से 30 वर्षो तक 18% और 31 से 40 वर्षो तक 30% और उसके बाद 40% मुफ्त बिजली प्रदेश को मिलती थी। पूर्व सरकार के समय इस नीति को बदलकर 4%, 8%, 12% और 25 % कर दिया गया था। केंद्रीय उपक्रमों को दी गयी परियोजनाएं थी चंबा का डुग्गर 500 मेगावाट, लूहरी चरण एक 210 मेगावाट, धोला सिद्ध 166 मेगावाट और 382 मेगावाट की सुन्नी डैम परियोजना। जयराम सरकार के समय जब यह आबंटन हो गया तब इस पर इन उपक्रमों ने काम शुरू कर दिया क्योंकि दोनों ओर भाजपा की सरकारें ही थी। लेकिन शायद उस समय राज्य सरकार और इन केन्द्रीय उपक्रमों में एम ओ यू हस्ताक्षरित नहीं हो पाये थे। सुक्खू सरकार ने पूर्व सरकार के समय हुए इन समझौता को राज्य के हितों के खिलाफ करार देते हुये इन केन्द्रीय उपक्रमों को यह पत्र लिख दिया कि यदि उन्हें पूर्व की बिजली नीति 12%, 18%, 30% और 40% स्वीकार है तब इस आबंटन पर अमल किया जाये अन्यथा राज्य सरकार इन परियोजनाओं को वापस ले लेगी। इस पर केन्द्र सरकार के बिजली सचिव पंकज अग्रवाल ने 12 मार्च को प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया कि या तो इन परियोजनाओं के काम को देशहित में चलने दिया जाये या फिर अब तक जो भी खर्च हुआ है उसका ब्याज सहित भुगतान करने के बाद परियोजनाओं को वापस ले लिया जाये। केन्द्रीय बिजली सचिव के मुताबिक अब तक 3400 करोड़ रुपए खर्च हो गये हैं। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में खर्च का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रदेश उच्च न्यायालय में दस अप्रैल को दस्तक दे दी है। पूर्व सरकार के समय जब यह आबंटन हुआ था तब वर्तमान मुख्य सचिव बिजली सचिव थे और आज मुख्य सचिव हैं। इसलिए यह मामला रोचक होगा क्योंकि अब उन्हें केन्द्रीय सचिव को जवाब देना होगा।

जब सुक्खू सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं पर उपकर लगाने का फैसला लिया था तब इन्हीं उपक्रमों ने उसका विरोध किया था और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया था। उसी पृष्ठभूमि में यह माना जा रहा है कि पुनर्मूल्यांकन का मामला भी लम्बी अदालती लड़ाई में फंस जायेगा। धोला सिद्ध और लूहरी परियोजनाएं अक्तूबर 2008 में आबंटित हुई थी और अगस्त 2017 में इन्हें एसजेवीएनएल को दिया गया था। अब इन्हें फिर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इस तरह और एक दशक तक इनमें उत्पादन शुरू हो पाने की संभावना नहीं है। इसी तरह डूग्गर परियोजना 2009 में धूमल सरकार के समय टाटा पावर और सिंगापुर की स्टेट क्राफ्ट कंपनी को आबंटित हुए थे। परन्तु यह कंपनियां इस पर काम नहीं कर पायी और 2019 में यह आबंटन रद्द कर दिया गया। टाटा पावर ने इस परियोजना से अपना अपफ्रन्ट प्रीमियम वापस लेने के लिये आवेदन किया और उसे मिल भी गया। पिछले दो वर्षो में ही आरबीट्रेशन में सरकार को पावर प्रोजेक्टस में हजारों करोड़ देने पड़े हैं। लेकिन किसी भी मामले में यह सामने नहीं आ पाया है कि दोष किन अधिकारियों का था। बल्कि यह धारणा बनती जा रही है कि यह आरबीट्रेशन भी एक बड़ा कारोबार बन गया है।

इस समय सरकार वित्तीय संकट से गुजर रही है क्योंकि सरकार को वर्ष की शुरुआत ही कर्ज से करनी पड़ी है। मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश को आत्मनिर्भर और देश का अग्रणी राज्य बनाने का दावा कर रहे हैं। एक समय प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को संकट मोचक के रूप में देखा गया था। परन्तु इस समय जितना कर्ज प्रदेश की पावर कंपनियों और बोर्ड पर है उसके चलते यह संभव नहीं है कि निकट भविष्य

शेष पृष्ठ 8 पर.....

देहरा उपचुनाव में कांगड़ा सहकारी बैंक का पैसा प्रकरण पहुंचा राजभवन

- होशियार सिंह ने संविधान की धारा 191 (1)(e) और 192 के तहत की है शिकायत
- राज्यपाल ने बैंक से तलब की रिपोर्ट

शिमला/शैल। देहरा विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्षेत्र के महिला मंडलों को केंद्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला कांगड़ा से पचास -पचास रुपए देने का मामला शिकायत के रूप में महामहिम राज्यपाल के पास पहुंच गया है। इसकी शिकायत चुनाव हारने वाले भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक होशियार सिंह ने की है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह राज्य सहकारी बैंक द्वारा सिर्फ देहरा के ही महिला मंडलों को पैसा बांटना आचार संहिता की खुली उल्लंघना माना जा रहा है। इस उप चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर की जीत हुई है। कमलेश ठाकुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की धर्मपत्नी है। मुख्यमंत्री के पास ही प्रदेश के वित्त विभाग का प्रभार भी है और प्रदेश के सहकारी बैंकों का प्रभार भी मुख्यमंत्री के ही पास है।

देहरा में यह पैसा बैंक द्वारा मतदान के शायद एक पखवाड़ा पहले दिया गया है। सिर्फ देहरा के ही महिला मंडलों को चुनाव से पूर्व इस तरह से पैसा बांटा जाना सीधे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास माना जा रहा है। यह सब चुनाव के बाद सामने आया है। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 123 में वर्णित

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने क्यारकोटी के गोवर्धन धाम में आयोजित गौ-कथा कार्यक्रम में भाग लिया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के निकट क्यारकोटी में आयोजित गौ-कथा कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने शनिधाम एवं कर्मघाट के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में भी भाग लिया। उन्होंने नव स्थापित गोवर्धन धाम में गौ सेवा भी की।

इस अवसर पर राज्यपाल की धर्मपत्नी जानकी शुक्ला और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रसिद्ध संत गोपाल मणि जी महाराज ने गौ महिमा और पवित्रता पर प्रवचन दिए।

राज्यपाल ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में यह उनका पहला दौरा है और वह यहां की प्राकृतिक सुन्दरता से अत्यंत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए यहां एक पर्यटक केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा गौ-कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता, आध्यात्मिक विश्वास और सांस्कृतिक संरक्षण का एक सुन्दर उत्सव भी है।

शुक्ल ने कहा कि शास्त्रों में गाय को सृष्टि की माता कहा गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि भारतीय जीवन पद्धति का अभिन्न हिस्सा है। हमारी संस्कृति में गाय को मां के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि यह हमें शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पोषण प्रदान करती है।

गोवर्धन धाम कल्याण समिति और स्थानीय ग्रामीणों के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनके इस प्रयास से न केवल गौ-संरक्षण को बल मिला है बल्कि लोगों को शनिधाम और कर्मघाट जैसी आध्यात्मिक सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गौ-सेवा न केवल पवित्र कार्य है बल्कि इससे मानवीय करूणा जागृत होती है और सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रोत्साहन मिलता है।

उन्होंने कहा कि पहाड़ी-देशी गायों का दूध औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसे अमृत के समान माना गया है। गाय का गोबर प्राकृतिक खेती के लिए अत्यंत लाभकारी है जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है और जैविक खेती को बल मिलता है। उन्होंने कहा कि 'गौ-संरक्षण न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण का आधार भी है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि गोवर्धन धाम गौ-सेवा और प्रदेशभर में धार्मिक गंतव्य का आदर्श केन्द्र बनकर उभरेगा।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल के ग्रामीणों ने गौ-सेवा की हमारी पुरातन परम्परा को जीवन्त रखते हुए धर्म और संस्कृति को सदैव बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गौ-रक्षा और गौशालाओं के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि गोवर्धन धाम का निर्माण स्थानीय जनता के सामूहिक प्रयासों और उनके द्वारा दी गई राशि से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लोग धीरे-धीरे धार्मिक कार्यों से दूर हो रहे हैं। गोवर्धन धाम में शनिधाम और कर्मघाट बनने से लोग अपने धर्म से पुनः जुड़ेंगे। उन्होंने गौ-कथा कार्यक्रम में पधारने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया।

राज्यपाल ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक, में भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने लोगों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध रूप से काम किया और अपना जीवन गरीबों, शोषितों और दलितों की भलाई के लिए समर्पित किया। उन्होंने विशेष रूप से सामाजिक भेदभाव का मुकाबला करने में डॉ. अंबेडकर के समानता, भाईचारे और एकता के दृष्टिकोण के प्रचार के महत्त्व को रेखांकित किया।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनी राम शांडिल, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री, पार्षदगण, बाबा साहेब अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने 78वें हिमाचल दिवस पर लोगों को बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 78वें हिमाचल दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश को अपार प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के चलते विश्वभर में ख्याति प्राप्त है।

उन्होंने लोगों की सादगी और कड़ी मेहनत की सराहना की और राज्य के विकास में सभी के योगदान को अद्वितीय बताया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लोगों के निरंतर रचनात्मक सहयोग से हिमाचल विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। उन्होंने प्रदेशवासियों के जीवन में सफलता और खुशहाली की कामना की।

एचएएस एवं परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने राज्यपाल से की भेंट

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं एचएएस के 22

अधिकारियों एवं वर्ष 2024 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भेंट की। यह परिवीक्षाधीन अधिकारी जिला शिमला के फेयरलॉन स्थित डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिपा में पेशेवर प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं।

परिवीक्षाधीन अधिकारियों से संवाद करते हुए राज्यपाल ने उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में आने पर बधाई दी और उन्हें समर्पण एवं निष्ठापूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने कहा कि एचएएस अधिकारियों को न केवल एक प्रशासक की तरह कार्य करना चाहिए बल्कि एक मार्गदर्शक, सहयोगी और दोस्त की तरह आमजन से संवाद स्थापित करना चाहिए। राज्यपाल ने प्रशासनिक सेवाओं के दौरान सत्यनिष्ठा, ईमानदारी समर्पण एवं संतुलित स्वभाव जैसी विशेषताओं को आचरण में शामिल करने पर बल दिया।

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि कानून और नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है लेकिन जो अधिकारी जनता के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता रखता है और निष्ठापूर्वक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करता है उसे समाज में सराहना मिलती है तथा ऐसे अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों को लंबे समय तक याद किया जाता है।

राज्यपाल ने सभी अधिकारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और उचित दृष्टिकोण, समर्पण और सकारात्मकता के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह न केवल व्यवसायिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में भी सहायक होता है।

इससे पूर्व, अतिरिक्त निदेशक हिपा प्रशांत सरकैक ने राज्यपाल को परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठयक्रमों के बारे में अवगत करवाया।

इस अवसर पर एचएएस और परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने राज्यपाल के साथ अपने अनुभव सांझा किए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

राज्यपाल ने 5वीं सिल्क रूट अल्ट्रा ट्रेल रन रन को रवाना किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जिला शिमला के नारकण्डा में आयोजित '5वीं सिल्क रूट अल्ट्रा ट्रेल रन' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आयोजन नशामुक्त हिमाचल अभियान के अंतर्गत हिमालयन एक्पीडिशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान भी हैं। युवाओं को सही दिशा में ले जाना हम सभी की नैतिक जिम्मदारी है।

हिन्दुस्तान-तिब्बत मार्ग पर आयोजित इस दौड़ को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग, इंडियन ऑयल, हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति और हिमईरा के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों के 250 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, इसमें फांस और जर्मनी से तीन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। 102 किलोमीटर लम्बी यह ट्रेल रन नारकण्डा से सराहन तक के प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर मार्ग पर आयोजित की जा रही है। इस दौड़ को चार वर्गों में बांटा गया है।

राज्यपाल ने कहा कि ' सिल्क रूट अल्ट्रा ट्रेल रन ' केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, प्रकृति और परम्पराओं से जुड़ने का एक अनूठा माध्यम है। यह ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करने और इको पर्यटन को बढ़ावा देने की एक सराहनीय पहल है। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार और आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर सृजित होने के साथ-साथ लोगों में पर्यावरण संरक्षण और नशे जैसी सामाजिक बुराई के प्रति जागरूता लाने में मदद मिलती है। राज्यपाल ने कहा कि नशे के विरूद्ध लड़ाई में समाज के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल होमगार्ड सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने कहा कि यह दौड़ नशा उन्मूलन के प्रति हिमाचल के लोगों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने इस आयोजन के माध्यम से लोगों को नशामुक्ति का संदेश देने के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त किया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अभिषेक त्रिवेदी ने भी अपने विचार साझा किए और नशामुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए समाज के सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा मिलती है।

इससे पूर्व, डॉ. अखिल शर्मा ने नशा करने के कारणों और उपचार पर विचार साझा किए। शिवालिक नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

हिमालयन एक्पीडिशन के सदस्य लक्ष्य ने इस आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा, जिला के प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने विशेष ओलंपिक रजत पदक विजेता को सम्मानित किया

शिमला/शैल। इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत के लिए स्नोबोर्डिंग में रजत पदक जीतने वाली शिमला की हर्षिता ठाकुर ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने हर्षिता

को हिमाचली टोपी और शाल भेंट कर सम्मानित किया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि हर्षिता की कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प ने केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है।

राज्यपाल ने कहा कि हर्षिता युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं। उनकी कड़ी मेहनत ने साबित कर दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। हर्षिता इसी भावना का एक जीवंत उदाहरण है।

हर्षिता ने राज्यपाल से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपनी भेंट के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से भेंट उनके लिए एक यादगार और प्रेरणादायक क्षण है। राज्यपाल ने हर्षिता को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि वह आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करती रहेंगी। हर्षिता ठाकुर के पिता सोहन लाल और माता सरिता ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने 70 शिक्षकों को सिंगापुर शैक्षणिक यात्रा पर रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने से प्रदेश के 70 शिक्षकों को सिंगापुर की शैक्षणिक यात्रा

पर रवाना किया। इन शिक्षकों में प्रदेश के सभी श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सशक्त और नवाचारी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनमें शिक्षकों को वैश्विक अनुभव दिलवाने की पहल अग्रणी है। उन्होंने कहा कि भ्रमण से ज्ञानार्जन होता है और अनुभव बढ़ता है। शिक्षकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश सरकार ने सिंगापुर की प्रतिष्ठित प्रिंसिपल्स अकादमी के साथ ऐतिहासिक करार किया है। इससे शिक्षकों के ज्ञान, कौशल और शिक्षण विधियों में अभूतपूर्व सुधार होगा। इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा और प्रदेश की शिक्षा प्रणाली अधिक समावेशी, प्रभावी और आधुनिक बनेगी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर सकारात्मक बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 तक देशभर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों के पाठयक्रम में बदलाव लाने की आवश्यकता है। पाठयक्रम में सामान्य ज्ञान विषय आरम्भ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाएगी, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सबसे योग्य शिक्षक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के दाखिले में कमी क्यों आ रही है, इसका अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षकों की शैक्षणिक यात्रा प्रेरणा स्रोत बनेगी और वह लौटकर अपने अनुभव विद्यार्थियों से साझा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने सिंगापुर की शैक्षणिक यात्रा पर जा रहे शिक्षकों को शैक्षणिक किट भी भेंट की।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अब तक प्रदेश सरकार द्वारा 267 शिक्षकों को सिंगापुर भेजा जा चुका है और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि हिमाचल सरकार की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने की ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गुणवत्ता आधारित प्रशिक्षण देने से शिक्षा प्रणाली में मौलिक बदलाव आएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी विदेश में शैक्षणिक दौरे पर भेजा जा रहा है ताकि वे अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि दो वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली और दूरदर्शी निर्णय लिए हैं। कलस्टर स्कूल प्रणाली की स्थापना से संसाधनों का सामूहिक उपयोग संभव हुआ है।

उन्होंने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें हिमाचल को शैक्षणिक रूप से सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में सहभागी बनने का आग्रह किया।

सचिव शिक्षा राकेश कंवर ने शिक्षकों की शैक्षणिक यात्रा व विभाग की महत्वपूर्ण पहलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केन्द्र में शिक्षक की भूमिका सबसे अहम है।

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा राजेश शर्मा ने समग्र शिक्षा के तहत किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी।

निजी भूमि पर सौर परियोजनाएं लगाने के लिए ब्याज अनुदान देगी सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का जिला चम्बा के दुर्गम क्षेत्र पांगी के किलाड़ पहुंचने पर पारम्परिक परिधान पहने स्थानीय लोगों

ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने लोगों को उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने धरवास और लुंज में बनने वाले महिला मण्डल भवन के लिए 25-25 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने लुंज में बन रहे एक अन्य महिला मण्डल भवन के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए तीन महिला मण्डलों को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को निजी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने के लिए क्षेत्रवासियों को पांच प्रतिशत ब्याज उपदान देगी। अन्य क्षेत्रों में 250 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए चार प्रतिशत जबकि एक मेगावाट से अधिक के संयंत्रों पर तीन प्रतिशत ब्याज उपदान देने का प्रावधान किया गया है।

हिमाचल सरकार ने पीडीएस लाभार्थियों की ई-केवाईसी शुरू की

शिमला/शैल। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार ने राशन वितरण में ग्राहक पहचान सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने, इसमें वृद्धि करने और पारदर्शिता लाने के लिए पीडीएस लाभार्थियों की ई-केवाईसी शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के बाद केवल पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस संबंध में, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पहले ही फील्ड अधिकारियों को लाभार्थियों की 100 प्रतिशत ई-केवाईसी की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि पीडीएस लाभार्थियों की सुविधा के लिए विभाग ने आधार आधारित फिंगर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके राज्य में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-पीओएस के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा, वेब एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य या देश में कहीं भी लोकमित्र केंद्र पर जाकर आधार आधारित फिंगर प्रिंट अथवा आईआरआईएस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके, या स्वयं एंड्रायड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन ईकेवाईसी पीडीएस एचपी के माध्यम से आधार आधारित फेस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग कर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान किया है।

विभाग ने इन निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वाले लाभार्थियों को सूचित किया है कि वे ऊपर बताए गए तरीकों से अपना ईकेवाईसी पूरा करें। लाभार्थी अपनी ई-केवाईसी को पूरा करने में आने वाली किसी भी समस्या के निवारण के लिए टेलीफोनिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए टोल-फ्री नंबर 1967 या 1800-180-8026 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, वे निकटतम डिपो धारक या एफपीएस से संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री पांगी में 14 विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जिला चम्बा के पांगी में अपने प्रवास के दौरान क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपये लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात देंगे।

मुख्यमंत्री किलाड़ में 3.75 करोड़ रुपये लागत के कृषि विभाग के आवासीय कमरों, राजकीय उच्च विद्यालय लुज में 1.5 करोड़ रुपये लागत से बनने वाले अतिरिक्त कमरों, राजकीय उच्च विद्यालय मिंधल में 1.5 करोड़ रुपये की लागत के अतिरिक्त कमरों, किलाड़ में 2.13 करोड़ रुपये की लागत के मार्केट यार्ड, किलाड़ में 49.42 लाख रुपये लागत के राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के नए कार्यालय, 1.99 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य उप-केन्द्र रेई, 1.99 करोड़ रुपये की लागत के स्वास्थ्य उप-केन्द्र हुडान तथा धनवास में 10.51 करोड़ रुपये की लागत से राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की एक मेगावाट सोलर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री 20.88 करोड़ रुपये लागत से निर्मित मिनी सचिवालय भवन किलाड़, 5.62 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आईटीआई भवन किलाड़, किलाड़ में 5.29 करोड़ रुपये लागत से निर्मित बस स्टेंड, किलाड़ में 2.98 करोड़ रुपये की लागत से बस स्टेंड के लिए वैकल्पिक मार्ग, 19.83 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नागरिक अस्पताल किलाड़ का लोकार्पण करेंगे।

मुख्यमंत्री किलाड़ में हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक के एटीएम का शुभारम्भ करेंगे तथा किलाड़ में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह परिसर में पौध रोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे।

झूठ बार-बार दोहराने से सत्य नहीं बनता: कांग्रेस

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा नेताओं पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए प्रतिदिन तथ्यहीन बयानबाज़ी कर रही है। उन्होंने भाजपा विधायकं बिक्रम ठाकुर के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इस विषय पर पहले ही विधानसभा में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं और संबंधित दस्तावेज विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत कर चुके है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। विपक्ष झूठ को कितनी भी बार दोहरा ले, वह सच नहीं बनता। दोनों ने कहा कि गुजरात की लकाडिया सौर ऊर्जा परियोजना की तुलना में ऊना जिले की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना हर मानक पर बेहतर है। उन्होंने बताया कि लकाडिया में 35 मेगावाट की सौर परियोजना जून 2022 में 215.79 करोड़ रुपये में अवार्ड की गई थी, जबकि पहले इसका अनुमानित खर्च 140 करोड़ रुपये तय किया गया था और निर्माण अवधि 30 महीने की रखी गई थी। अभी भी इस परियोजना का निर्माण कार्य जारी है। इस परियोजना की डीसी क्षमता 38.05 मेगावाट है।

इसके विपरीत, पेखुबेला की 32 मेगावाट क्षमता की परियोजना अत्याधुनिक तकनीक से तैयार की गई है और इसकी डीसी क्षमता 45.05 मेगावाट है, जो लकाडिया के मुक़ाबले कहीं अधिक है। पेखुबेला परियोजना मई 2023 में 220 करोड़ रुपये में अवार्ड की गई और रिकॉर्ड छः महीने में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया।

मंत्रियों ने कहा कि पेखुबेला परियोजना में 8 वर्षों का संचालन एवं रखरखाव अनुबंध परियोजना लागत में ही शामिल है, जबकि लकाडिया परियोजना में यह अवधि केवल 5 वर्ष है। इसके अतिरिक्त, पेखुबेला में सालाना 20.66 लाख यूनिट बिजली उत्पादन की गारंटी है, जबकि लकाडिया में यह आंकड़ा 20.14 लाख यूनिट है। अगर उत्पादन कम होता है, तो पेखुबेला में कंपनी से प्रति यूनिट 3.71 रुपये की दर से पेनल्टी वसूली जाएगी, जबकि लकाडिया परियोजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होंने कहा कि पेखुबेला परियोजना में डेवलपर से 10 प्रतिशत बैंक गारंटी ली गई है, जबकि लकाडिया में केवल 5 प्रतिशत। साथ ही, पेखुबेला में 132 केवी की ट्रांसमिशन निकासी प्रणाली स्थापित की गई है, जबकि लकाडिया में यह क्षमता मात्र 66 केवी है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पेखुबेला परियोजना तकनीकी, आर्थिक और प्रबंधन के सभी स्तरों पर बेहतर है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिर से 40 हुई है, भाजपा बेचैन हो गई है और निराधार आरोपों के ज़रिए राज्य सरकार को बदनाम करने की साज़िश कर रही है।

दिव्यांग श्रेणी से कनिष्ठ कार्यालय सहायक पदों के लिए दस्तावेजों का सत्यापन 10व11 अप्रैल को

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा 3 जनवरी, 2025 को दिव्यांग श्रेणी से कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के चार पद विज्ञापित किए गए थे। इसके संदर्भ में प्राप्त आवेदनों पर आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिसमें प्रथम चरण में 10 व 11 अप्रैल को दृष्टिबाधित श्रेणी के एक पद के लिए सभी आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन निदेशालय, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम वर्ग का सशक्तिकरण, ब्लॉक नम्बर 33, एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला में किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में श्रवण बाधित श्रेणी के एक पद, शारीरिक अक्षमता श्रेणी के एक पद तथा मानसिक व बहुविकलांगता श्रेणी के एक पद के लिए आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन 21 से 26 अप्रैल, 2025 तक निदेशालय, ग्रामीण विकास विभाग, ब्लॉक नम्बर 27, एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला में किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सभी आवेदकों को पहले ही पंजीकृत पत्र के माध्यम से सूचना भेज दी गई है, यदि किसी कारण वश आवेदक को सूचना प्राप्त न हुई हो तो आवेदक पूछताछ के लिए दूरभाष नम्बर 0177 2623819, 2623820 और 2623830 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

कमज़ोर लोग कभी माफ़ नहीं कर सकते। माफ़ी मज़बूत लोगों का गुण है।
.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

दो वर्षों में 5200 करोड़ का कर भार जनता पर डालकर भी नहीं सुधरी स्थिति

सुक्खू सरकार अपने दो वर्ष के कार्यकाल में 5225 करोड़ के कर्ज प्रदेश की जनता पर लगा चुकी है। यह सब तब हुआ है जब सरकार ने दोनों वर्ष कर मुक्त बजट दिये हैं। प्रदेश सरकार की वर्ष 2025 – 26 के लिये संभावित आय 42342.97 करोड़ रहने का अनुमान है। इसमें राज्य सरकार के अपने साधनों से 20291.46 करोड़ की आय रहेगी। केंद्र सरकार से विभिन्न मद्दों में 22051.51 करोड़ मिलेंगे। वर्ष 2025 – 26 के लिए कर्ज लेने की कुल सीमा 7000 करोड़ रहेगी। अभी वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन सरकार को कर्ज लेना पड़ा है। वर्ष 2025 – 26 के लिये कुल राजस्व 48733.04 करोड़ रहने का अनुमान है। इस चालू वर्ष में पूंजीगत व्यय 8281.27 करोड़ अनुमानित है जबकि पिछले वर्ष 10276.98 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिये थे। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि चालू वित्त वर्ष की स्थिति क्या रहने वाली है। इस वर्ष कर्ज और ब्याज की अदायगी पर पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा खर्च होगा।

मुख्यमंत्री ने जब दिसम्बर 2022 में सत्ता संभाली थी तब प्रदेश के लोगों को चेतावनी दी थी कि प्रदेश के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। इस चेतावनी से यह समझ आता है कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की कठिन वितीय स्थिति की जानकारी थी। यह जानकारी होते हुये सरकार ने अपने अवांच्छित खर्चे कम करने और वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये यह व्यवहारिक आकलन का विषय है। सरकार ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां की जबकि पिछले सरकार इन नियुक्तियों से बची रही थी। इन नियुक्तियों के अतिरिक्त करीब दो दर्जन सलाहकार और ओएसडी नियुक्त कर लिये गये। ऐसे सेवानिवृत अधिकारियों को सलाहकार नियुक्त कर लिया जिन्हें स्वयं पिछली सरकार में भ्रष्ट होने का तमगा दिया था। संसाधन जुटाने के नाम पर कर और शुल्क बढ़ाये। आज अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान भी इस बढ़ौतरी से बचे नहीं है। तकनीकी महाविद्यालयों में बच्चों की रीवैल्युएशन फीस सीधे 500 से बढ़कर 1500 कर दी गयी है। कर और शुल्क इस कदर बढ़ाये गये हैं कि समाज का हर वर्ग उससे प्रभावित हुआ है। 77 लाख की आबादी वाले प्रदेश में जब 5200 करोड़ रूपया टैक्स के माध्यम से इकटठा किया जाएगा तो अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उस पर आम आदमी की प्रतिक्रिया क्या रही होगी?

अभी पंचायत महासंघ ने आरोप लगाया है कि पिछले चार माह से मनरेगा में कोई अदायगी नहीं हो रही है। लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के बिलों की अदायगी रुकी हुई है। अस्पतालों में मैडिकल सप्लायरों के बिल रुके पड़े हैं। कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है। इन्हीं कारणों से हिम केयर कार्ड का ऑपरेशन प्रभावित हुआ पड़ा है। यह सरकार कुछ गारंटीयां देकर सत्ता में आयी थी। लेकिन वित्तीय आंकड़ों के आईने से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार हर चीज भाषण में तो पूरी कर देगी लेकिन व्यवहार में नहीं कर पायेगी। इस वस्तु स्थिति में यह बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि सरकार को इसके लिये क्या कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सरकार को अपने अवांच्छित खर्चे कम करने होंगे। सलाहकारों और विशेष कार्य अधिकारियों के नाम पर सेवानिवृत्ति अधिकारियों को हटाकर यह काम सेवारत अधिकारियों से लेना होगा। सरकार जब अफसरों के लिये 40 – 40 लाख की गाड़ियों की खरीद करेगी तो उसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पडेगा। इस समय एक अधिकारी के पास जितने विभाग हैं उतनी ही गाड़ियां उसके पास हैं। हिमाचल में प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है और न ही होने की संभावना है। ऐसे में ई – वाहनों की खरीद आज की आवश्यकता नहीं है यह बन्द होनी चाहिए। इस तरह अटल आदर्श विद्यालय और राजीव गांधी डे – बोर्डिंग स्कूलों की आज आवश्यकता नहीं है। हिमाचल में पर्यटन के क्षेत्र में सरकार की भूमिका केवल नियामक की रहनी चाहिये निवेशक की नहीं। आज सरकार को लेकर यह धारणा प्रबल होती जा रही है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। इस धारणा से बचना होगा। सरकार को यह समझना होगा की जनता पर जितना ज्यादा टैक्स भार बढ़ाया जायेगा उतनी निराशा जनता में फैलेगी। सरकार अपने खर्चे कम करके यदि जनता में कठिन वितीय स्थिति के नाम पर गारंटीयां पूरी न कर पाने के लिये खुले मन से क्षमा याचना कर लेगी तो जनता क्षमा भी कर देगी अन्यथा जनता का आक्रोश सब कुछ खत्म कर देगा।

'काफिर' शब्द की गलत व्याख्या व उपयोग किसी भी समाज की एकता के लिए खतरनाक

गौतम चौधरी

शब्दों में रिश्तों को प्रभावित करने बेहतर क्षमता होती है। यही नहीं शब्दों में लोगों की धारणा को बदलने और लोगों को एक साथ लाने या उन्हें अलग करने की भी अपार क्षमता होती है। आज हम एक ऐसे शब्द पर चर्चा करने वाले हैं, जिसकी न केवल गलत तरीके से व्याख्या की जाती रही है अपितु इस शब्द का व्यापक तौर पर दुरुपयोग भी होता रहा है। यह शब्द 'काफिर' है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह शब्द सभी गैर – मुस्लिमों के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लामी शिक्षाओं पर जब हम सकारात्मक नजर डालेंगे तो इस शब्द की वास्तविकता स्वत: ध्यान में आएगी। मुफ्ती तुफैल खान कादरी बताते हैं कि काफिर शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से पैगंबर मुहम्मद के समय के दौरान लोगों के एक विशेष समूह को संदर्भित करने के लिए किया गया था, जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य था और जिसे सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। काफिर शब्द की निकट जांच आवश्यक है क्योंकि आधुनिक प्रवचनों में इसके लापरवाह अनुप्रयोग ने अनावश्यक रूप से अलगाव और संघर्ष को जन्म दिया है।

मुफ्ती कादरी बताते हैं कि अरबी भाषा में 'काफिर' शब्द का अर्थ है 'कवर करना या फिर इनकार करना होता है। कुरान में, 'काफिर' का उपयोग सभी गैर – मुस्लिमों को संदर्भित करने के लिए नहीं किया गया है। पैगंबर मुहम्मद के समय, इसका उपयोग विशेष लोगों के लिए किया गया था। विशेष रूप से कुरैश जनजाति के उन लोगों को काफिर कहा गया जिन्होंने सच्चाई के अचूक साक्ष्य को देखने के बावजूद इस्लामी संदेश को अस्वीकार करने से मना कर दिया था। यह समझना अनिवार्य है कि 'काफिर' शब्द किसी भी नस्ल, समुदाय या धर्म के लिए कतई उपयोग नहीं किया गया है। व्यापक रूप से यह गलतफहमी है कि सभी गैर – मुस्लिम 'काफिर' हैं। मुफ्ती तुफैल बताते हैं कि कुरान में पाये गये दृष्टिकोण के साथ यह मेल नहीं खाता है। उदाहरण के लिए, बाइज़ेन्टाइन को पवित्र ग्रंथ में 'काफिर बाइज़ेन्टाइन' नहीं कहा गया है, अपितु केवल 'बाइज़ेन्टाइन' कहा गया है। जबकि हम जानते हैं यह समूह ईसाइयों का था। इसी तरह, यमन के गैर – मुस्लिम शासक अब्राहा को 'यमन के काफिर शासक' के बजाये सूरा अल – फ़िल में 'हाथियों का आदमी' के रूप में चिंहित किया गया है।

इंटरफेथ संबंधों के लिये इस्लाम के दृष्टिकोण को शब्दावली के इस सावधानीपूर्वक उपयोग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो दूसरों को अलग किये बिना मतभेदों को स्वीकार करता है। शब्द काफिर के उपयोग से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी गैर – मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ना, इस्लाम के पवित्र ग्रंथ के छंदों की गलत व्याख्या है। कुरान स्पष्ट रूप से बताता है कि पवित्र युद्ध केवल आत्मरक्षा में उचित है और यह निश्चित रूप से पूरे समुदायों को नष्ट करने वालों के खिलाफ ही किया जा सकता है। कुरान के सूरा अल – बक़रा (1:190) ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि 'जो लोग तुमसे युद्ध करते हैं, उनसे केवल अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो, किन्तु सीमा का उल्लंघन न करो।' इससे पता चलता है कि मुसलमानों को सिर्फ इसलिए लोगों से लड़ने के लिए नहीं कहा जाता है क्योंकि वे गैर – मुस्लिम हैं, बल्कि कुरान धैर्य और इस्लाम की शिक्षाओं के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रसार के साथ अहिंसक संचार को बढ़ावा देता है। थोड़ी बहुत जो विसंगतियां दिखती है वह निहायत नकारात्मक व्याख्या के कारण ही संभव हो पायी है।

समय के साथ 'काफिर' शब्द के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप गंभीर नतीजे सामने आ रहे हैं। इसका उपयोग कुछ मुस्लिम शासकों द्वारा बहिष्करण के उपकरण के रूप में किया गया था, जिन्होंने भेदभाव और उत्पीड़न का बचाव करने के लिए कुछ समूहों के पदनाम का काफिरों के रूप में उपयोग किया। इंटरफेथ संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के साथ, इस अभ्यास ने मुस्लिम समुदाय के भीतर सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ा दिया है क्योंकि विभिन्न गुटों ने कुफ़र के एक दूसरे पर आरोप लगाया है। भारत जैसे देशों में शब्द के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप हिंदू – मुस्लिम संबंधों को बहुत नुकसान हुआ है। शब्द 'काफिर' का उपयोग अपमानजनक रूप में किया गया है, दुश्मनी को बढ़ाता है और लोगों को विभाजित करता है। एक बात बता दें कि इस शब्द के गहन अक्रामक अर्थो के औपनिवेशिक युग के दौरान नस्लवाद और दासता के साथ जुड़ने के कारण, दक्षिण अफ्रीका ने कानूनी रूप से 'काफिर' के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आधुनिक दुनिया में हमें शब्दों और कर्मो से सावधान रहना आवश्यक है, जहां कई धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान सह – अस्तित्व में हैं। पैगंबर मुहम्मद ने कहा 'ओ लोगों' या मानव जाति के लोगों। ऐसे स्थानों पर उन्होंने काफिर शब्द का उपयोग नहीं किया, जहां समूह की बात कही गयी है। वहां उन्होंने केवल समूह की ही बात कही है और उसके लिए उन्होंने कई अन्य शब्दों का उपयोग किया है। उसी प्रकार उन्होंने कुछ अधार्मिक या नास्तिक लोगों के लिये काफिर शब्द का उपयोग किया है। इस्लाम का कहना है कि किसी के विश्वास की परवाह किए बिना, हर कोई सम्मान के साथ व्यवहार करने के योग्य है, जो व्यक्तियों को वर्गीकृत या विभाजित करने के बजाये, शांतिपूर्ण सह – अस्तित्व और एक दूसरे के लिए सम्मान पर होना चाहिए।

'काफिर' शब्द के दुरुपयोग ने पर्याप्त नुकसान किया है। इसके कारण समाज में विभाजन हुआ है और अलगाववाद जन्म लिया। यह विभाजनकारी शब्दावली को छोड़ने और समझ और करुणा की भावना को गले लगाने का समय है। शब्दों का वजन होता है और उनके लापरवाह उपयोग से गहरे घाव हो सकते हैं। शत्रुता पर बहिष्करण और सम्मान पर समावेशीता का चयन करके हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जहां मतभेदों का कोई स्थान नहीं है। समाज को अच्छा बनाना है तो हमें ऐसे शब्दों के उपयोग को त्यागना होगा जिससे आपस में विभेद पैदा होता है। काफिर शब्द की सही व्याख्या करें और उसे समझे फिर हमारे बीच अलगाव नहीं होगा। यहां तो हर एक इस्लामिक समूह आज दूसरों को काफिर घोषित करने पर तुला है। बरेलवी दूवबंदी को काफिर कह रहा है तो देवबंदी अहले हदीस को काफिर घोषित करने पर तुला है। यह खाई तभी भरेगा जब इस शब्द की सही व्याख्या होगी।

मंडी जिला में प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति व अन्य प्रोत्साहन योजनाओं पर 12.42 करोड़ रुपए व्यय

* 1,34,452 छात्र – छात्राओं को नि:शुल्क पाठय पुस्तकें प्रदान करने पर व्यय किए 9.05 करोड़ रुपए
* मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन लागत एवं मानदेय पर 15 करोड़ रुपए हुए खर्च

किसी भी कल्याणकारी राज्य में सुलभ एवं गुणात्मक शिक्षा एक प्रमुख तत्व होता है जो एक सुशिक्षित समाज की परिकल्पना को साकार करता है। वर्तमान प्रदेश सरकार प्रत्येक बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चत करने के लिए दृढ़ कदम उठा रही है। इसके दृष्टिगत पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला में भी शिक्षा विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। गत वर्ष के कार्यकाल में वर्तमान प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं पर जिला में लगभग 12.42 करोड़ रुपए व्यय किए हैं।

गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आईआरडीपी छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। मंडी जिला में इस योजना के अंतर्गत गत वर्ष पहली से आठवीं कक्षा तक के 9411 पात्र छात्र – छात्राओं को लगभग 56.48 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई।

माध्यमिक मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मेधावी छात्र – छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मंडी जिला में गत वर्ष इस योजना के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के 292 छात्र – छात्राओं को लगभग 3.50 लाख रुपए प्रदान किए गए। इसी प्रकार स्वर्ण जयंती माध्यमिक मेधावी छात्रवृत्ति के तहत छठी से आठवीं कक्षा तक के छात्र – छात्राओं को 15.12 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

छात्रवृत्ति प्रदान करने के साथ ही प्रदेश सरकार स्कूली छात्रों को नि:शुल्क वर्दी, पाठय पुस्तकें प्रदान करने के साथ ही उन्हें पोषक दोपहर भोजन की सुविधा भी प्रदान कर रही है। स्कूल वर्दी योजना के तहत गत वर्ष जिला में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार से संबंधित पहली से आठवीं कक्षा के 43,630 छात्र – छात्राओं को लगभग 2.62 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। इसके अतिरिक्त पहली से आठवीं कक्षा तक के 1,34,452 छात्र – छात्राओं को नि:शुल्क पाठय पुस्तकें आवंटित की गई। इस पर गत वर्ष 9.05 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की गई।

राजकीय पाठशालाओ में वितरित किए जाने वाले मध्याह्न भोजन के अंतर्गत प्राथमिक एवं अप्पर – प्राइमरी में भोजन पकाने की लागत पर लगभग 7.10 करोड़ रुपए व्यय किए गए। योजना के अंतर्गत जिला की विभिन्न प्राइमरी व अप्पर – प्राइमरी पाठशालाओं में हजारों छात्रों को लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कुक – सह – हेल्पर्स को 7.91 करोड़ रुपए के लगभग मानदेय प्रदान किया गया। इससे छात्रों को दोपहर भोजन के रूप में पोषक आहार के साथ ही हजारों लोगों को एक सुनिश्चित आय भी उपलब्ध करवाई गई है।?

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि शिक्षा का हमारे व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। मंडी जिला में शिक्षा विभाग के माध्यम से सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति योजनाओं का सभी पात्र छात्र – छात्राओं तक समयबद्ध लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।

ट्राऊट मछली उत्पादन में अलग पहचान बना रहा मंडी जिला का बरोट क्षेत्र

* बाहरी राज्यों को मछली निर्यात से ट्राऊट किसानों की आर्थिकी हो रही सुदृढ़
* जिला में ट्राऊट रेसवेस के निर्माण के लिए एक करोड़ 80 लाख रुपए की अनुदान सहायता प्रदान

हिमाचल की सदानीरा नदियां हमारी जलापूर्ति का मुख्य साधन हैं। इनके जल से विद्युत उत्पादन कर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बना है। इन नदियों में मत्स्य पालन के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रदेश सरकार कई सार्थक

कदम उठा रही है। मंडी जिला में ट्राऊट मछली उत्पादन को बढ़ावा देना सरकार के इन्हीं प्रयासों को इंगित करता है।

मंडी जिला का बरोट क्षेत्र ट्राऊट मछली उत्पादन में तेजी से उभर रहा है। ठंडी जलवायु के कारण यहां से बहने वाली ऊहल एवं इसकी सहायक नदी लम्बाडग ट्राऊट मछली उत्पादन के लिए आदर्श मानी गई हैं। मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में ब्राऊन व रेनबो ट्राऊट फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में इन दोनों नदियों में 35 हजार मत्स्य बीज डाला गया, जिसमें 25 हजार ब्राऊन ट्राऊट और 10 हजार रेनबो ट्राऊट बीज शामिल है। खास बात यह कि यह बीज राजकीय ट्राऊट फार्म बरोट में ही उत्पादित किया गया है।

सरकार के इन प्रयासों से स्थानीय युवाओं सहित पर्यटन व्यवसायियों को भी लाभ मिलेगा। बरोट की नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर वादियों का आनंद लेने बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंचते हैं। इनमें से अधिकांश मत्स्य आखेट के शौकीन भी होते हैं। ऐसे पर्यटकों को लुभाने के लिए यहां मत्स्य आखेट स्थल भी चिह्नित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त होटल व्यावसायियों व स्थानीय स्तर पर ट्राऊट की काफी मांग रहती है।

मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर भी प्रदेश सरकार विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। जिला में ट्राऊट रेसवेस का निर्माण करने के लिए 33 किसानों को एक करोड़ 80 लाख रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की गई है। शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, भीमताल से अनुसूचित जाति उप – योजना (एससीएसपी) के तहत 3.02 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। यह राशि ट्राऊट मत्स्य फार्म बरोट के तहत मत्स्य किसानों के प्रशिक्षण पर व्यय की गई। इसके तहत 25 किसानों को 10 हजार रुपए प्रति किसान की दर से अनुदान सामग्री भी वितरित की गई। हाल ही में जिले के दो ट्राऊट प्रगतिशील मत्स्य किसानों की निजी हैचरियों से रैन्बो ट्राऊट आइड ओवा उत्तराखंड राज्य को निर्यात किए गए हैं। इससे उनकी आर्थिकी मजबूत हुई है।

मत्स्य विभाग के माध्यम से 175 युवाओं को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार की दिशा में मोड़ा गया है। विभाग द्वारा मत्स्य पालन से जुड़े सभी व्यक्तियों को नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफार्म (एनएफडीपी) पर भी पंजीकृत किया जा रहा है। इससे उन्हें नई डिजिटल पहचान मिलने के साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त हो रही है। मंडी जिला में अभी तक 362 किसान इस पर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। वित्त वर्ष 2024 – 25 में जिला के 48 ट्राऊट किसान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त 16 लाभार्थियों को राज्य प्रायोजित योजना के तहत कॉर्प तालाबों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत वर्ष 2024 – 25 में 1043 व्यक्तियों को नदी – नालों में मछली पकड़ने के लिए अनुज्ञा पत्र भी जारी किए गए हैं।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि ट्राऊट मत्स्य किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के दृष्टिगत जिला में मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। बरोट क्षेत्र में ट्राऊट उत्पादन की बेहतर संभावनाओं के दृष्टिगत यहां मत्स्य किसानों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

हाशिये से मुख्यधारा तक

वक्फ प्रशासन में महिला सशक्तिकरण

शिमला। वक्फ पीढ़ियों से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के लिए धन उपलब्ध कराने में सहायक रहा है। लेकिन अधिकांश महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिला क्योंकि संसाधनों और निर्णय लेने में उनकी पहुंच अत्यंत सीमित थी। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य इसमें बदलाव लाना है। यह मुस्लिम महिलाओं को विरासत में उनका उचित हिस्सा, वित्तीय सहायता और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करेगा।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 में सबसे बड़ा बदलाव पारिवारिक वक्फ (वक्फ – अलल – औलाद) में महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की सुरक्षा है। अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ को संपत्ति तब तक दान नहीं कर सकता जब तक महिला उत्तराधिकारियों को पहले विरासत का उचित हिस्सा न मिल जाए। परिवारों को यह वक्फ में दान देने के उपक्रम में महिलाओं को उनकी संपत्ति में हिस्सा न देने से रोकता है। नए अधिनियम की धारा 3ए(2) सुनिश्चित करती है कि वक्फ संपत्तियां बनाते समय महिलाओं को अनुचित तरीके से वंचित न रखा जाए।

अधिनियम विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वक्फ – अलल – औलाद के उद्देश्य को भी विस्तारित करता है। धारा 3 (आर) (iv) वक्फ फंड उनके कल्याण और जीवन खर्च के उपयोग की अनुमति देता है। कल्याण और न्याय के इस्लामी सिद्धांतों का पालन करते हुए यह जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

अधिनियम में एक और बड़ा बदलाव वक्फ शासन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना है। इसमें सुनिश्चित किया गया है कि राज्य वक्फ बोर्ड (धारा 14) और केंद्रीय वक्फ परिषद (धारा 9) में दो मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाए। इसका अर्थ है कि अब वक्फ संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन कैसे किया जाए यह तय करने का अधिकार महिलाओं को होगा। वक्फ शासन में अधिक महिलाओं की उपस्थिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि धन उचित आवश्यकताओं पर खर्च किया जाए जैसे:

मुस्लिम लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति
स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व सहायता
महिला उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण और कम आय वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता
उत्तराधिकार और घरेलू हिंसा के मामलों में कानूनी सहायता

यह अधिनियम अतीत की विषमता दूर कर वक्फ को अधिक न्यायसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति और वित्तीय सुरक्षा देकर, यह अधिक संतुलित और न्यायसंगत वक्फ व्यवस्था स्थापित करता है।

इसके अलावा, अधिनियम मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में सहायता के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) स्थापित करने को बढ़ावा देता है। ये केंद्र स्वास्थ्य सेवा, व्यवसाय और फैशन डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे महिलाओं को नौकरी प्राप्त करने या स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने में मदद मिलेगी।

अधिनियम में एक महत्वपूर्ण सुधार वक्फ रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण है। इससे डिजिटल रिकॉर्ड पारदर्शिता में सुधार आएगी, भ्रष्टाचार रुकेगा और सुनिश्चित होगा कि वक्फ के धन का सही तरीके से उपयोग हो। महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके कल्याण के लिए निर्धारित धन के दुरुपयोग न होने की गारंटी देता है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, वक्फ को सामाजिक कल्याण और न्याय का साधन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उत्तराधिकार के अधिकार सुरक्षित कर, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की मदद कर, शासन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाकर और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर यह वक्फ प्रशासन में दीर्घकालिक लैंगिक समानता स्थापित करेगा। ये सुधार मुस्लिम महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे, जिससे सुनिश्चित होगा कि वक्फ आने वाले वर्षों में उनकी प्रगति और सशक्तिकरण को सही मायने में बढ़ावा दे।

ट्राई का नाम लेकर धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें

शिमला। हाल के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि धोखेबाज लोग खुद को टीआरएआई अधिकारी बताकर उपभोक्ताओं को टेलीफोन कॉल या संदेश के माध्यम से अपना शिकार बना रहे हैं। वे उपभोक्ताओं को अवैध गतिविधियों में शामिल होने तथा पैसे ऐंठने के लिए मोबाइल कनेक्शन काटने की धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) संदेशों या अन्य माध्यमों से मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने के बारे में ग्राहकों से बातचीत शुरू नहीं करता है। उल्लेखनीय है कि टीआरएआई ऐसे उद्देश्यों के लिए ग्राहकों से संपर्क करने के लिए किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी को भी नियुक्त नहीं करता। इसलिए टीआरएआई से होने का दावा करने वाले और मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने की धमकी देने वाले किसी भी प्रकार के संचार (कॉल, मैसेज या नोटिस) को संभावित धोखाधड़ी का प्रयास माना जाना चाहिए और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

बिलिंग, केवाईसी या किसी भी तरह के दुरुपयोग के कारण किसी भी मोबाइल नंबर का डिस्कनेक्शन संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा किया जाता है। लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध धोखेबाजों के झांसे में आने से घबराने की सलाह नहीं दी जाती है। उन्हें संबंधित टीएसपी के अधिकृत कॉल सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्रों से संपर्क करके ऐसे कॉलों की पुष्टि करने की भी सलाह दी जाती है।

साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लोगों को दूरसंचार विभाग के संचार साथी प्लेटफॉर्म पर चक्षु सुविधा के माध्यम से संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्लेटफ र्म को https://sancharsaathi.gov.in/sfc/ पर एक्सेस किया जा सकता है। साइबर अपराध होने के मामलों के लिए पीड़ितों को निर्दिष्ट साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर '1930' पर या आधिकारिक वेबसाइट https://cybercrime. gov.in/ के माध्यम से घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए।

हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में तेजी से विकसित हो रहा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहित करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस दिशा में अब तक राज्य में छः ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जा चुके हैं ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा राज्य सरकार ने 402 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। चयनित स्थानों में मुख्य रूप से सरकारी परिसरों जैसे लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, परिधि गृह, उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के कार्यालय परिसर आदि शामिल हैं। इनमें से लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में 252, जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों में 19, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम के परिसरों में 18, वन विभाग के परिसरों में 100, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसरों में 12 तथा बीबीएनडीए कार्यालय में एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस पहल का उद्देश्य राज्य में एक मजबूत और प्रभावी ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना है। इससे सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों अपनाने में सुविधा मिलने के साथ- साथ हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

राज्य सरकार ने सभी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। प्रदेश में अब तक 4997 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। ई-टैक्सी योजना के तहत 500 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को विभिन्न सरकारी विभागों में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य राज्यों से आने वाली ई-बसें और टैक्सियां भी प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही हैं। इसके दृष्टिगत प्रदेश में ई-चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है।

राज्य सरकार ने देशभर में हरित परिवहन की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रदेश के छह राजमार्गो को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में अधिसूचित किया है। इसके साथ ही प्रदेश के पैट्रोल पंपों, सरकारी परिसरों, पर्यटन विकास निगम के होटलों और निजी अस्पतालों सहित मुख्य स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में विभिन्न पैट्रोल पंपों पर 23 चार्जिंग स्टेशनों का संचालन किया जा रहा है और इस वर्ष 90 पैट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, चार्जिंग स्टेशनों सहित सड़क किनारे विभिन्न सुविधाएं विकसित करने के लिए 46 सरकारी स्थान चिन्हित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से अपने 65 होटलों में ईवी चार्जिंग स्टेशन्स स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है और प्रथम चरण में 11 होटलों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए चिन्हित किया जा चुका है। निजी होटलों में 44 ईवी चार्जिंग स्टेशन्स स्थापित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े स्तर पर परिवहन क्षेत्र में अपनाने से हिमाचल प्रदेश में सतत् पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक परिवहन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी केन्द्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने पांगी क्षेत्र के लिए करोड़ो रुपये की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला चम्बा के पांगी प्रवास के दौरान क्षेत्रवासियों के लिए करोड़ो रुपये लागत की 14

विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री किलाड़ में 3.75 करोड़ रुपये लागत के कृषि विभाग के आवासीय कमरों, राजकीय उच्च विद्यालय लुज में 1.5 करोड़ रुपये लागत से बनने वाले अतिरिद्र कमरों, राजकीय उच्च विद्यालय मिंधल में 1.5 करोड़ रुपये की लागत के अतिरिक्त कमरों, किलाड़ में 2.13 करोड़ रुपये की लागत के मार्केट यार्ड, किलाड़ में 49.42 लाख रुपये लागत के राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के नए कार्यालय, 1. 99 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य उप-केन्द्र रेई तथा 1. 99 करोड़ रुपये की लागत के स्वास्थ्य उप-केन्द्र हुडान का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री 20.88 करोड़ रुपये लागत से निर्मित मिनी सचिवालय भवन किलाड़, 5.62 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आईटीआई भवन किलाड़, किलाड़ में 5.29 करोड़ रुपये लागत से निर्मित बस स्टेंड, किलाड़ में 2.98 करोड़ रुपये की लागत से बस स्टेंड के लिए वैकल्पिक मार्ग, 19.83 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नागरिक अस्पताल किलाड़ का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री किलाड़ में हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक के एटीएम का शुभारम्भ किया तथा किलाड़ में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह परिसर में पौध रोपण कार्यक्रम में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दुर्गम पांगी घाटी के धनवास में एक मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना को लगभग 10.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नवंबर, 2025 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस परियोजना के स्थापित होने से पांगी घाटी की सभी 19 पंचायतों को सर्दियों में भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में 500 किलोवाट की बैटरी स्टोरेज सुविधा से रात के समय भी बिजली की आपूर्ति होगी। इससे क्षेत्र में लोड शैडिंग की समस्या समाप्त होगी और विद्युत व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि 2.2 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित होने वाले इस संयंत्र में 2,400 सौर पैनल लगाए जाएंगे जिससे हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा।

मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के लिए आठ बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जिला बिलासपुर के लिये आठ प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए। इन परियोजनाओं में कोल डैम में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारम्भ, बिलासपुर जिला उपायुक्त कार्यालय में 70 लाख रुपये की लागत से निर्मित 110 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा चालित रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण

शामिल है। इस रूफटॉप प्लांट की स्थापना से यह उपायुक्त कार्यालय हिमाचल का पहला हरित उपायुक्त कार्यालय बना है। मुख्यमंत्री ने 4.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित शहरी आजीविका केंद्र, 40 लाख रुपये की लागत से निर्मित चार स्पैस प्रयोगशालाएं तथा 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बने मॉडल करियर सेन्टर भी क्षेत्र की जनता को समर्पित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश सरकार की बिलासपुर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाती हैं। गोविन्द सागर झील क्षेत्र में आरम्भ की जा रही जल आधारित साहसिक गतिविधियों से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ-साथ बिलासपुर पर्यटन मानचित्र पर उभरेगा जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है क्योंकि यह राज्य की आय सृजन के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है जिससे जीएसटी आय का एक बड़ा हिस्सा भी प्राप्त होता है। प्रदेश सरकार हिमाचल को देश की पर्यटन राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में धार्मिक, पारंपरिक और प्राकृतिक, जल, स्वास्थ्य पर्यटन आदि को एकीकृत कर यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षक पर्यटन पैकेज तैयार किए जा रहे हैं।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में 2400 करोड़ रुपये की लागत से नए पर्यटन स्थल विकसित करने का निर्णय लिया है जिसके पहले चरण में वैलनेस सेन्टर स्थापित किए जाएंगे। सरकार राज्य में तीन से सात सितारा श्रेणी के 200 होटल विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है। ये होटल अन्तरराष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य और वैलनेस सुविधाओं से लैस होंगे जिनसे सैलानियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में धार्मिक और ईको पर्यटन को भी बड़े स्तर पर बढ़ावा देने जा रही है। श्री नैना देवी जी मन्दिर में सुविधाओं के उन्नयन पर 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, धर्मशाला में 200 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। गोविन्द सागर झील सहित प्रदेश के अन्य जलाशयों में क्रूज, शिकारा, हाउस बोर्ड, जेट स्की, मोटर बोट और वाटर स्कूटर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं जिनसे हिमाचल जल्द प्रमुख पर्यटन केंद्र बनकर उभरेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को होम स्टे और होटल निर्माण के लिए मिलने वाले ऋण पर 5 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने पर भी विचार कर रही है।

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर के लिए तीन बड़ी परियोजनाएं समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने बिलासपुर जिले की विकासात्मक आवश्यकताओं को सदैव प्राथमिकता दी है। प्रदेश का पहला हरित उपायुक्त कार्यालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यालय परिसर में लगाए गए 110 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र से प्रतिदिन 440 यूनिट और 13,200 यूनिट मासिक बिजली उत्पादन होगा जिससे बिजली के बिलों में सालाना लगभग 10 लाख रुपये की बचत होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत बिलासपुर में 4.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित शहरी आजीविका केंद्र से स्थानीय युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा।

उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से लोकार्पित की गई परियोजनाएं जिले में पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन में मिल का पत्थर साबित होंगी।

सार्वजनिक संपत्ति को खराब करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान

शिमला/शैल। हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने नवगठित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस (प्रिवेंशन आफ डिस्फिगरमेंट) एक्ट, 1985 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है, जिसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है तथा इसके लिए कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह अधिनियम मूल रूप से सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापनों के अनाधिकृत प्रदर्शन को रोकने के लिए है। इसका उद्देश्य इमारतों, दीवारों, पेड़ों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, नोटिस, चित्र सहित विभिन्न प्रसारण संकेत इत्यादि लगाने को नियंत्रित करना है ताकि क्षेत्र की आभा पर विपरित प्रभाव न पड़े। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसा कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।

इस अधिनियम को वर्ष 1985 में शिमला नगर निगम क्षेत्र में लागू किया गया था। इसके बाद, 9 मई, 1991 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, इसका दायरा राज्य भर में विभिन्न नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समितियों और राज्य में अन्य नगर निगमों तक बढ़ा दिया गया। हालांकि, प्रशासनिक उन्नयन और विस्तार के कारण 1991 के बाद अस्तित्व में आये नवगठित शहरी स्थानीय निकायों को अधिसूचना के दायरे में शामिल नहीं किया गया।

सभी लक्षित क्षेत्रों में एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये, राज्य सरकार ने गत दिनों अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों में अधिनियम के प्रवर्तन को मंजूरी दी है। इनमें नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन, बद्दी, हमीरपुर और ऊना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नगर परिषद बिलासपुर, घुमारवीं, सुजानपुर टीहरा, देहरा, ज्वालामुखी, नगरोटा बगवां, मनाली, जोगिंदरनगर, नेरचौक, सरकाघाट, रोहडू, परवाणू, मैहतपुर, संतोखगढ़, सुन्नी, नादौन और बैजनाथ पपरोला सहित नगर पंचायत ज्वाली, शाहपुर, निरमंड, करसोग, चिड़गांव, नेरवा, कंडाघाट, अंब, टाहलीवाल, बड़सर, संधोल, धर्मपुर, बलद्वाड़ा, भोरंज, खुंडियां, नगरोटा सूरियां, कोटला, झंडूता, सवारघाट, बनीखेत, कुनिहार, बंगाणा और शिलाई भी शामिल हैं।

प्रदेश सरकार राज्य में विभिन्न शहरी क्षेत्रों और नगरों की प्राकृतिक सुंदरता को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस अधिनियम के सख्ती से लागू होने से सर्वाजनिक सम्पत्तियों पर न केवल अनाधिकृत विज्ञापन को रोकने बल्कि इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुन्दरता को बनाये रखने में भी मदद मिलेगी।

महानिदेशक सीमा सड़क संगठन ने मुख्यमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। महानिदेशक सीमा सड़क (डीजीबीआर) पीवीएसएम, वीएसएम, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की और परियोजना

दीपक के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचागत पहलों पर चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को पहाड़ी राज्य में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की प्रगति और राज्य के लोगों के लिए संपर्क सुविधा को बढ़ाने की विस्तृत जानकारी दी।

महानिदेशक ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि सीमा सड़क संगठन ने परियोजना दीपक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मनाली और सिस्सू क्षेत्रों में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच-03, एनएच-05 और एनएच-505) के उन्नयन, सुधार और विकास का दायित्व निभाया है। ये कार्य न केवल सामरिक महत्व के हैं, बल्कि इनका उद्देश्य दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में सम्पर्क सुविधा को बढ़ाकर स्थानीय लोगों को लाभान्वित करना है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण दुर्गम और ऊंचाई पर स्थित इलाकों में सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में सीमा सड़क संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने लियो चांगो और शिव मंदिर से गुए सड़कों सहित अन्य महत्वपूर्ण सड़कें, जो वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अधीन हैं उनके रखरखाव की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन को संभालने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण सड़कें जैसे कि किन्नौर को लाहौल-स्पीति जिले से जोड़ने वाली वांगतू-अटरगू-मुध-भावा दर्रा मार्ग को भी सीमा सड़क संगठन के अधीन लेने का प्रस्ताव रखा। इस मार्ग को हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी मिली है, जिससे इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह सड़क 4,865 मीटर की ऊंचाई पर बनेगी और खारदुंग ला के बाद देश की दूसरी सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क बन जाएगी। इस सड़क के बनने से शिमला और काजा के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर कम हो जाएगी और यह नाको, समदो और ताबो मार्ग के अलावा लाहौल स्पीति के लिए सम्पर्क सुविधा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगा। वर्तमान में यह दूरी 410 किलोमीटर है जोकि नई सड़क के बनने से लगभग 310 किलोमीटर हो जाएगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चंबा-बैरागढ़-साचपास-किलाड़ सड़क को अपने नियंत्रण में लेने का भी आग्रह किया। भारत-पाकिस्तान सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सुदूर पांगी घाटी को जोड़ने वाला यह मार्ग मनाली-लेह और रोहतांग मार्गों के बन्द होने की स्थिति में एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित साचपास वर्ष में केवल चार से पांच महीनों के लिए यातायात के लिए खुला रहता है। मुख्यमंत्री ने 13 किलोमीटर लंबी तीसा सुरंग को भी सीमा सड़क संगठन के अधीन लेने का प्रस्ताव रखा। इस मार्ग से चंबा-किलाड़ की दूरी 88 किलोमीटर कम हो जाएगी और बारह मासी संपर्क संभव हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बीआरओ की भागीदारी से महत्वपूर्ण सड़क बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी और प्रदेश में सीमावर्ती सम्पर्क सुविधा और आर्थिक विकास को और मजबूती मिलेगी।

महानिदेशक ने कहा कि लोक निर्माण विभाग से औपचारिक हस्तांतरण पूरा होते ही इन सड़कों को सीमा सड़क संगठन के अधीन ले लिया जाएगा। इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन सड़कों के काम तेजी लाई जाएगी।

मोदी जी के नौ संकल्प बदलेंगे हमारा व्यक्तितव व देश का भविष्य:जयराम

शिमला/शैल। शिमला से जारी ब्यान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नौ संकल्प का आहवान किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह नौ संकल्प, संकल्प लेने वाले व्यक्ति का जीवन और देश का भविष्य बदल कर रख देंगे।

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित 'नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम' में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज जब इतनी बड़ी संख्या में विश्व भर में एक साथ नवकार महामंत्र का जाप किया है, तो मैं चाहता हूं कि आज हम सब जहां भी बैठे हों, 9 संकल्प लेकर जाएं। प्रधानमंत्री ने पहला संकल्प-पानी बचाने का, दूसरा संकल्प-एक पेड़ मां के नाम लगाने का, तीसरा संकल्प-स्वच्छता का मिशन, चौथा संकल्प-वोकल फॉर लोकल, पांचवा संकल्प-देश दर्शन, छठा संकल्प -प्राकृतिक खेती को अपनाना, सातवां संकल्प-स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, आठवां संकल्प-योग और खेल को जीवन में स्थान देना और नवां संकल्प-गरीबों की सहायता करने का, लेने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन 9 संकल्पों से हमें नई ऊर्जा मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। प्रधानमंत्री के सभी संकल्प शरीर, समाज, मनुष्यता और पर्यावरण का संरक्षण करने लिए बेहद अहम हैं। इसलिए हम सभी को इन सभी नौ संकल्पों को अपने व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है।

प्रदेश में सब काम केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहे :जयराम

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से

शिष्टाचार भेंट कर हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रोजेक्ट, प्रदेश भर में बिछाये जा रहे टनलों और नेशनल हाईवे के जाल के लिए आभार व्यक्त किया। नेता प्रतिपक्ष ने नितिन गडकरी से जंजैहली-चैल चौक-नगवान समेत प्रदेश के कई सड़कों के चौड़ीकरण और सुधारीकरण करवाने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष के आग्रह पर नितिन गडकरी ने संबंधित सड़कों के लिए सीआईआरएफ के तहत जल्दी से जल्दी काम करवाने का आश्वाशन दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में नेशनल हाईवे से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक की सड़कों के लिए केंद्र सरकार द्वारा भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। प्रदेश में जो भी काम चल रहे हैं सब के सब केंद्र सरकार के सहयोग से ही चल रहे हैं।

हिमाचल में स्थापित करेंगे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य एवं शिक्षण प्रणाली: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर

की जयंती के उपलक्ष्य पर जिला हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय परिसर में डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और लगभग 38 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यो के उदघाटन एवं शिलान्यास किए।

इसके उपरांत उपायुक्त कार्यालय परिसर में कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ.अंबेडकर ने भारतीय संविधान को ऐसी अदभुत संरचना प्रदान की है, जिससे प्रत्येक नागरिक और समाज के सभी वर्गो का कल्याण एवं उत्थान सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की राशि और 14वें व 15वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान में भारी कटौती के कारण उत्पन्न कठिन आर्थिक परिस्थितियों से उबरने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं और राज्य की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। सुधार की इस प्रक्रिया में सरकार को प्रदेशवासियों के सहयोग की भी आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य एवं शिक्षण प्रणाली स्थापित करेगी। हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में कार्डियोलॉजी विभाग के बाद अब नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग भी खोले जाएंगे, जिससे किडनी तथा न्यूरो की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को यहीं पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हमीरपुर में उत्कृष्ट कैंसर केयर संस्थान के लिए पहले ही 85 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों के समर्थन मूल्य और मनरेगा की दिहाड़ी में भारी वृद्धि की गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 5.08 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के आवासीय भवनों, 2.01 करोड़ रुपये से निर्मित राजस्व कॉलोनी, 4.42 करोड़ रुपये के उप- स्वास्थ्य केंद्र धरोग के भवन एवं आवास और 1.71 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किसान सलाहकार केंद्र का उदघाटन किया।

उन्होंने लगभग 18.42 करोड़ रुपये की लागत से जसकोट में बनने वाले हेलीपोर्ट, एक करोड़ रुपये से बनने वाले पॉलीटेक्निक कॉलेज बड़ू के मैकेनिकल ब्लॉक और 5.26 करोड़ रुपये की भगोट-फाफन सड़क का शिलान्यास भी किया।

सामाजिक न्याय के योद्धा हैं बाबा साहब : जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बाबा साहेब की जयंती पर शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर बाबा साहेब आंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप

शुक्ल और स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी उनके साथ उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बाबा साहब का योगदान देश की आजादी की लड़ाई के साथ-साथ आजादी के बाद देश की चुनौतियों से निपटने में भी रहा। आजादी के बाद भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाने के साथ-साथ एक सर्वाग्रही, सर्व समावेशी, सर्वहितकारी विधान बनाने का दायित्व भी मिला। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने यह दायित्व पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया।

जयराम ठाकुर ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन सामाजिक न्याय और समानता के हितों की रक्षा करते और शोषण के विरुद्ध लड़ते हुए बीता। बाबा साहेब आधुनिक भारत के सामाजिक न्याय के पुरोध थे। देश के वंचित-शोषित समुदाय के हकों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, आवाज उठाई और लोगों को उनका हक दिला कर रहे। बाबा साहेब के दिखाये गये रास्ते ही शोषण मुक्त, समानता और समरसता युक्त आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। उनका जीवन दर्शन और शिक्षाएं हमेशा लोगों का पथ प्रदर्शन करता रहेगा। एक बेहद सामान्य परिवार से उठकर देश दुनिया की उच्चतर शिक्षा हासिल करना और अपनी सारी ऊर्जा वंचितों के हक की लड़ाई में लगाना किसी महामानव का ही कार्य हो सकता है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या विमल नेगी की मौत दूसरा गुड़िया कांड बनेगा?

> पावर कारपोरेशन के भ्रष्टाचार पर जांच से क्यों डर रही है सरकार
> क्या तकनीकी आरोपों का जवाब राजनेता दे सकते हैं

शिमला/शैल। पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के कारणों की जांच पुलिस के साथ ही सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को भी सौंप दी थी। पुलिस ने स्व. नेगी के परिजनों की शिकायत पर एफ.आई.आर. दर्ज की है। परिजनों की शिकायत रही है कि स्व. नेगी को कॉरपोरेशन में उनके वरिष्ठों प्रबंधन निदेशक हरिकेश मीणा और निदेशक देशराज ने एक ऐसी मानसिक प्रताड़ना का शिकार बना दिया था जिसके कारण उन्हें अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़ा। परिजनों ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप देशराज और हरिकेश मीणा पर लगाया था। परन्तु पुलिस ने केवल देशराज का नाम एफ. आई.आर. में शामिल किया मीणा का नहीं। मीणा की जगह प्रबन्ध निदेशक पदेन किया। एफ.आई.आर. में नाम आते ही देशराज ने अग्रिम जमानत के लिये उच्च न्यायालय में दस्तक दे दी। उच्च न्यायालय ने देशराज के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। देशराज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये वहां पर उनकी जमानत याचिका का विरोध करने के लिये सरकार की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ और देशराज को जमानत मिल गयी। देशराज को जमानत मिलने के बाद मीणा ने भी जमानत के लिये उच्च न्यायालय का रुख किया और उन्हें जमानत मिल गयी। मीणा ने अपने आवेदन में यह कहा है कि वह स्व. नेगी को व्यक्तिगत रूप से जानते ही नहीं है। पुलिस अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर पायी है। देशराज और मीणा से हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिये पहले उनकी जमानतें रद्द करवानी पड़ेगी और अब तक के आचरण के सामने इसकी संभावना नहीं के बराबर है।

प्रशासनिक जांच की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच गयी है। इस जांच में क्या कारपोरेशन के पूरे निदेशक मण्डल से सवाल जवाब हुये हैं या नहीं? कॉरपोरेशन के अध्यक्ष से कोई सवाल जवाब हुये है या नहीं इस बारे में अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। प्रशासनिक जांच कर रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को इंजीनियर सुनील ग्रोवर ने जो हस्ताक्षरित ब्यान सौंपा है उसमें पावर कॉरपोरेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जो तथ्य रखे गये हैं उन तथ्यों को सामने रखते हुये कॉरपोरेशन के पूरे निदेशक मण्डल से अध्यक्ष सहित जवाब किये जाने आवश्यक माने जा रहे हैं। पूर्व उद्योग मंत्री विधायक विक्रम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भी अलग-अलग पत्रकार वार्ताओं में कॉरपोरेशन अध्यक्ष की नियामक भूमिका को लेकर सवाल उठाये हैं। इन सवालों के जवाब जिस तरह से सरकार के मंत्री और सलाहकार दे रहे हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि कुछ छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।

कॉरपोरेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार को इंजीनियर सुनील ग्रोवर ने बेनकाब किया है। इंजीनियर ग्रोवर हिमाचल सरकार में भी एमडी रह चुके हैं। ऑल इण्डिया फैडरेशन के संरक्षक हैं। जो तथ्य ग्रोवर के ब्यान में उजागर हुये हैं उनका जवाब उसी स्तर के इंजीनियर से आना चाहिये जो विषय का ज्ञाता हो। जब तकनीकी सवालों का जवाब राजनेता देने का प्रयास करते हैं तो स्वत: ही यह सन्देश चला जाता है कि कुछ 'खास' छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि यह तो आम आदमी भी समझ जाता है कि आधा काम ही होने पर पूरे के पैसे नहीं दिये जाते। कम्पनी को ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान कैसे किया गया। यह आरोप शोंग टोंग परियोजना को लेकर है। पेखुबेला में डीपीआर से लेकर आगे तक सब कुछ सवालों में है। कॉरपोरेशन अपनी बैंक की सी.सी. लिमट से ही परियोजना का वित्त पोषण कर रही थी। यह कैसा प्रबन्धन है? विपक्ष इस परियोजना में फॉरच्यूनर और इनोवा गाड़ियां के तोहफे बांटे जाने के आरोप लगा रहा है। हिमाचल सरकार का वित्तीय संकट आज उस मोड पर पहुंच गया है कि सरकार को वित्त वर्ष के पहले ही दिन कर्ज लेना पड़ा है। ऐसी स्थिति में जब इस तरह के भ्रष्टाचार को दबाने के प्रयास आम आदमी के सामने आयेंगे तो इसके परिणाम दूरगामी होंगे। विपक्ष ने मुख्य सचिव के सेवा विस्तार को भी इस कारपोरेशन के साथ जोड़ दिया है।

जल विद्युत परियोजनाओं ......पृष्ठ 1 का शेष

में पावर परियोजनाओं पर कोई निर्भरता बन पायेगी। चंडीगढ़ और भाखड़ा में हिमाचल के हिस्से को लेकर एक लम्बे समय से विवाद चल आ रहा है। हर सरकार इस हिस्से को लेने के बड़े-बड़े वायदे करती आयी है। अदालत से अवार्ड होने के बावजूद यह मसला अब तक हल नहीं हो पाया है। जबकि केन्द्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकारें रह चुकी हैं। ऐसी स्थिति में जब इन परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया अदालत में पहुंच चुकी है उसके मद्देनजर इसमें लम्बी कानूनी लड़ाई से गुजरना पड़ेगा। पहले ही यह परियोजनाएं पिछले पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से लटकी पड़ी है। अभी और एक दशक लगने की परिस्थितियों निर्मित हो गयी हैं। इस बार भाखड़ा और पोंगडैम जलाशयों में पानी का भराव बहुत कम रहा है। लूहरी को लेकर प्रभावित जनता विरोध में आ गयी है। ग्लेशियर लगातार कम होते जा रहे हैं यह अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है। ऐसे में वित्तीय संकट में चल रहे प्रदेश के लिये ऐसे फैसले बहुत सावधानी से लेने पड़ेंगे ।

देहरा उपचुनाव में कांगड़ा सहकारी ......पृष्ठ 1 का शेष

भ्रष्ट आचरण में आता है। चुनावों के बाद सामने आये ऐसे आचरण की शिकायत संविधान की धारा 191(1)(e) और 192 के तहत राज्यपाल के पास दायर की जाती है। होशियार सिंह ने इन्हीं प्रावधानों के तहत राज्यपाल से शिकायत की है। राज्यपाल ने शिकायत आने के बाद केंद्रीय सहकारी बैंक से इस संबंध में रिपोर्ट तलब कर ली है। यदि रिपोर्ट में तथ्यों की पुष्टि हो जाती है तो राज्यपाल इस मामले को अपनी संस्तुति के साथ चुनाव आयोग को भेज देंगे। ऐसे मामलों में राज्यपाल का आदेश अंतिम होता है और उसे अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। स्मरणीय है कि बजट सत्र के दौरान हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने इस आशय का प्रश्न सदन में पूछा था। लेकिन इसके उत्तर में कहा गया था की सूचना एकत्रित की जा रही है। इस जवाब पर हुये वाद विवाद में आशीष शर्मा ने कुछ महिला मंडलों को बांटे गये पैसे के दस्तावेज जो उन्होंने जूटा रखे थे वह सदन के पटल पर रख दिए थे। यह दस्तावेज सदन के पटल पर आने के बाद पूरे मामले की गंभीरता बढ़ गई थी । शैल ने यह दस्तावेज उस समय पाठकों के सामने रखे हैं। अब यह मामला राज्यपाल और चुनाव आयोग के सामने आ गया है। नियमों के अनुसार इसमें बहुत जल्द कारवाई होने की संभावना है। और इसमें विधायकी जाने की भी संभावनाएं हैं। प्रदेश की राजनीति में इस मामले के दूरगामी प्रभाव होंगे ।

यह है संविधान की धारा 191 और 192 के प्रावधान

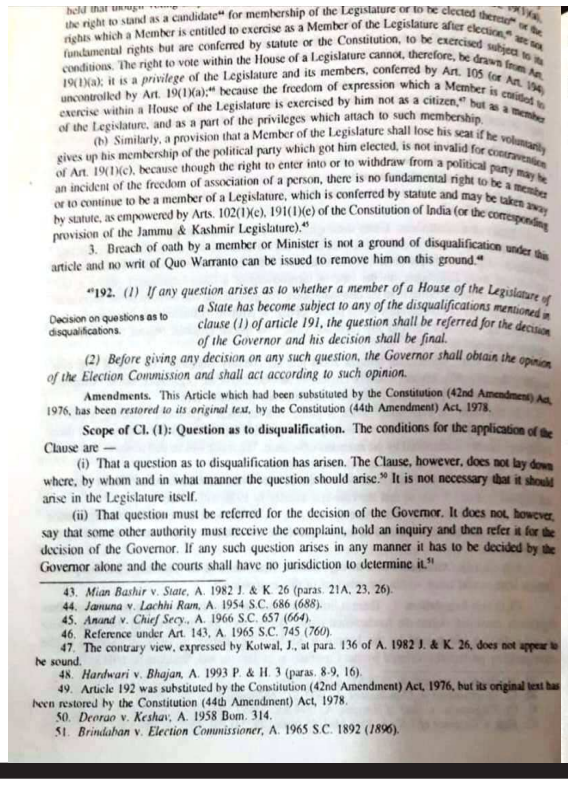

held that ... the right to stand as a candidate[44] for membership of the Legislature or to be elected thereto[44] or the rights which a Member is entitled to exercise as a Member of the Legislature after election,[45] are not fundamental rights but are conferred by statute or the Constitution, to be exercised subject to its conditions. The right to vote within the House of a Legislature cannot, therefore, be drawn from Art. 19(1)(a); it is a *privilege* of the Legislature and its members, conferred by Art. 105 (or Art. 194) uncontrolled by Art. 19(1)(a);[46] because the freedom of expression which a Member is entitled to exercise within a House of the Legislature is exercised by him not as a citizen,[47] but as a member of the Legislature, and as a part of the privileges which attach to such membership.

(b) Similarly, a provision that a Member of the Legislature shall lose his seat if he voluntarily gives up his membership of the political party which got him elected, is not invalid for contravention of Art. 19(1)(c), because though the right to enter into or to withdraw from a political party may be an incident of the freedom of association of a person, there is no fundamental right to be a member or to continue to be a member of a Legislature, which is conferred by statute and may be taken away by statute, as empowered by Arts. 102(1)(e), 191(1)(e) of the Constitution of India (or the corresponding provision of the Jammu & Kashmir Legislature).[45]

3. Breach of oath by a member or Minister is not a ground of disqualification under this article and no writ of Quo Warranto can be issued to remove him on this ground.[48]

[49]**192.** *(1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.*

Decision on questions as to disqualifications.

(2) Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.

Amendments. This Article which had been substituted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976, has been *restored to its original text*, by the Constitution (44th Amendment) Act, 1978.

Scope of Cl. (1): Question as to disqualification. The conditions for the application of the Clause are —

(i) That a question as to disqualification has arisen. The Clause, however, does not lay down where, by whom and in what manner the question should arise.[50] It is not necessary that it should arise in the Legislature itself.

(ii) That question must be referred for the decision of the Governor. It does not, however, say that some other authority must receive the complaint, hold an inquiry and then refer it for the decision of the Governor. If any such question arises in any manner it has to be decided by the Governor alone and the courts shall have no jurisdiction to determine it.[51]

43. *Mian Bashir* v. *State*, A. 1982 J. & K. 26 (paras. 21A, 23, 26).
44. *Jamuna* v. *Lachhi Ram*, A. 1954 S.C. 686 (688).
45. *Anand* v. *Chief Secy.*, A. 1966 S.C. 657 (664).
46. Reference under Art. 143, A. 1965 S.C. 745 (760).
47. The contrary view, expressed by Kotwal, J., at para. 136 of A. 1982 J. & K. 26, does not appear to be sound.
48. *Hardwari* v. *Bhajan*, A. 1993 P. & H. 3 (paras. 8-9, 16).
49. Article 192 was substituted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976, but its original text has been restored by the Constitution (44th Amendment) Act, 1978.
50. *Deorao* v. *Keshav*, A. 1958 Bom. 314.
51. *Brindaban* v. *Election Commissioner*, A. 1965 S.C. 1892 (1896).

Art. 194] THE CONSTITUTION OF INDIA 493

Cl. (1): 'Has become'. These words indicate that the disqualification which can be referred to the Governor under the present Article is a disqualification arising subsequent to the election and not existing at the time of the election.[52]

'Shall be final'. Though, by reason of the word 'final', the decision of the Governor cannot be questioned in any court as to its propriety or correctness,[53] there is authority of the Supreme Court[54] to the effect that an appropriate writ may lie[55] to set aside the order if it is established that the order was passed[54] —

(a) on collateral considerations; or
(b) in contravention of the rules of natural justice; or
(c) on *no* evidence; or
(d) on the advice of the Executive, or other authority who was not entitled to advise the Governor in the matter of exercise of such quasi-judicial function.

Cl. (2): 'Shall act according to such opinion'. It would appear from these words that the Government has no discretion to decide such question contrary to the opinion of the Election Commission.[56]

193. **If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements of article 188, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament or the Legislature of the State, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of the five hundred rupees to be recovered as a debt due to the State.**

Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 188 or when not qualified or when disqualified.

[See, under Art. 173, *ante*.]

Powers, Privileges and Immunities of State Legislatures and their Members

194. **(1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature, there shall be freedom of speech in the Legislature of every State.**

Powers, privileges, etc. of the Houses of Legislatures and of the members and committees thereof.

(2) No member of the Legislature of a State shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Legislature or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of a House of such a Legislature of any report, paper, votes, or proceedings.

[57]*(3) In other respects the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be such as may from time to time be defined by the Legislature by law, and, until so defined, shall be those of that House, and of its members and committees, [immediately before the coming into force of section 26 of the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978].*[58]

52. *Election Commission* v. *Saka Venkata*, (1953) S.C.R. 1144 (1158).
53. Cf. *Jyoti Prakash* v. *Chief Justice*, A. 1965 S.C. 961; *Election Commn.* v. *Ranga*, A. 1978 S.C. 1609.
54. *Union of India* v. *Jyoti Prakash*, A. 1971 S.C. 1093; Cf. *State of Rajasthan* v. *Union of India*, A. 1977 S.C. 1361.
55. *Haja Sharif* v. *Governor*, A. 1985 Mad. 55 (para. 14).
56. *Ibrahim* v. *Election Tribunal*, A. 1957 All. 292.
57. Substituted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976.
... within square brackets were substituted by the Constitution (44th Amendment) Act, 1978.